RAJYA SABHA

Friday, the 6th September, 1996 / 15th Bhadra, 1918 (Saka)

The House met at eleven of the clock **Mr. Chairman in the Chair**

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Question Nos. 481 and 495 are more or less on the same subject. So, I am clubbing both these Questions together.

Additional Capital Outlays for New Railway Zones

*481. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the additional capital outlay in respect of necessary infrastructure for the new six Railway Zones?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): रेलवे के नए क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थापित करने की प्रत्याशित लागत 250 करोड़ रु० (अनुमानित) आंकी गई है, जिसमें भूमि की लागत शामिल नहीं है।

नए रेलवे जोनों के लिए मानदंड

@*495. **श्री अजीत जोगी:**
श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने नए रेलवे जोन बनाए गए हैं और ये जोन किस आधार पर बनाए गए हैं;

(ख) विद्यमान जोनों का वर्तमान वार्षिक कारोबार कितना है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर डिवीजन से हो रही आय और अन्य सभी कोणों से इसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए वहां रेलवे जोन बनाया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दक्षिण मध्य रेल का गठन 1966 में किया गया था। 12.7.96 को सरकार ने इलाहाबाद, जयपुर, बेंगलूरु, हाजीपुर, जबलपुर और भुवनेश्वर में रेलवे के छह नए जोनल कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया इनमें से भुवनेश्वर और इलाहाबाद कार्यालयों का उद्घाटन क्रमशः 8.8.96 और 28.8.96 को हो गया है।

नए जोनों की स्थापना करते समय, अर्थ-व्यवस्था की जरुरतों और कार्य-कुशलता के अनुरूप, आकार, कार्यभार और पहुंच, यातायात के स्वरूप और अन्य परिचालनिक / प्रशासनिक आवश्यकता आदि बातों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) रेलों पर "टर्न-ओवर" शब्द का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता। बहरहाल, वर्ष 1995-96 में नौ क्षेत्रीय रेलों की सकल प्राप्तियों, कुल संचालन व्यय और कुल निर्माण-कार्य व्यय के आंकडे नीचे दिए गए हैं:—

जोन	सकल प्राप्तियां करोड़ रुपए	कुल संचालन व्यय करोड़ रुपए	कुल निर्माण-कार्य व्यय करोड़ रुपए
मध्य	3573.04	2875.45	601.65
पूर्व	2553.60	2434.98	561.39
उत्तर	3699.56	3048.01	643.48
पूर्वोत्तर	591.61	930.68	228.95
पूर्वोत्तर सीमा	422.76	826.34	215.47
दक्षिण	1546.09	1627.72	484.20
दक्षिण मध्य	2152.12	1699.00	749.98
दक्षिण पूर्व	4290.13	2746.47	719.70
पश्चिम	3577.24	2310.77	520.56

(ग) बिलासपुर में किसी नए जोनल कार्यालय की स्थापना नहीं की जा रही है।

SHRI SANATAN BASI: Mr. Chairman, Sir, with profound joy, I express my congratulations to our Railway Minister, Shri Ram Vilas Paswan, who has taken into consideration the backwardness of the regions in setting up the new railway zones. I would like to know the related matters which are taken into consideration in setting up the new railway zones.

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, 4-5 चीजें हैं जिनको नए जोन के स्थापित करने के संबंध में देखा जाता है। एक तो पहला हम देखते हैं कि हैड क्वार्टर से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए और दूसरा वर्कलोड है। वर्कलोड जो रेलवे का एक अपना सिस्टम है उसके मुताबिक और 200 यूनिट होना चाहिए और नंबर आफ् स्टाफ का भी एक क्राइटीरिया है। इसके बाद रुट किलोमीटर भी देखा जाता है, ट्रैफिक पेटर्न भी देखा जाता है। फिर उसके अलावा जो प्रशासनिक आवश्यकताएं हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्वायंट आफ् व्यू से,ये पांच-छः इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग कंसिडर करते हैं।

SHRI SANATAN BISI: My second supplementary is: What will be the scope of employment generation in these new railway zones?

श्री राम विलास पासवान: महोदय, क्योंकि जोन का जो होता है वह विकास के दृष्टिकोण से और एडमिनिस्ट्रेटिव प्वायंट् आफ् व्यू से यह रखा जाता है। इसमें अभी हम लोगों ने उस संबंध में एंप्लायमेंट का जो कितना उसमें एंप्लायमेंट मिलेगा इस पर हम लोगों ने अभी कोई अध्ययन नहीं किया है।

श्रीमती वीणा वर्मा: सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं जैसा अभी नए रेलवे जोन बनाने के लिए उन्होंने क्राइटीरिया बताया कि इतने किलोमीटर रेलवे लाइन्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता और हैड क्वार्टर से कितना दूर हो इस तरह का बताया, लेकिन जब आपने एक हमारा रेलवे बजट प्रस्तुत किया था तो एक और क्राइटीरिया आपने अपने भाषण में कहा था कि in deciding to set up the new railway zones, besides administrative requirements, the aspirations and sentiments of the people यह भी एक क्राइटीरिया है या होना चाहिए। तो बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में एक रेलवे जोन स्थापित करने की जो पुरानी मांग हमारी चली आ रही है और बिलासपुर सब से ज्यादा रेवेन्यु देने वाला मंडल है और वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है, वह आलरेडी है, तो क्या यह जरूरी नहीं है कि वहां पर एक रेलवे जोन दिया जाता? आपने सरीन कमेटी का भी हवाला दिया था कि सरीन कमेटी बैठी थी लेकिन सरीन कमेटी ने देखने में आया है कि सरीन कमेटी के अनुसार हाजीपुर, भुवनेश्वर, जयपुर आदि तीन-चार जो आपने रेलवे जोन दिए हैं उनमें भी अनुशंसा नहीं की गई थी और सरीन कमेटी खुद अपने संदेहों से घिरी हुई है। तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि सब से ज्यादा आय देने वाला व इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद रहते हुए भी बिलासपुर को आपने जोन क्यों नहीं दिया? यह आपने अपने उत्तर में भी नहीं बताया है। तो वह रेलवे जोन देने के लिए क्या फिर से कोई स्टडी करेंगे?

राम विलास पासवान: सभापति जी, पहले रेलवे के जो जोन बने, वह 1951-52 में 55 में 58 में और 66 में बने। तो शुरू-शुरू में जो आवश्यकताएं थीं, उन आवश्यकताओं के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए जोन बनाने का काम किया गया। लेकिन 1966 के बाद पिछले 30 वर्षों में रेलवे का कोई जोन नहीं बन पाया। इस का एक कारण यह भी रहा कि यहां बने कि वहां बने ऐसा विचार चलता रहा। फिर जैसाकि मैंने बतलाया सारे-का-सारा वर्कलोड बढ़ गया और प्रशासनिक दिक्कतें सामने आने लगीं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह सही है कि जो कमेटी बैठी थी, उसने 4 जोन के संबंध में निर्णय लिया और उन 4 जोन के हैडक्वार्टर्स कहां रखें, उस में हम लोगों ने कोई फेरबदल नहीं किया। जो कमेटी की रिपोर्ट आई, उस के मुताबिक हम लोगों ने हैडक्वार्टर रख दिया। सभापति जी, दो जगह से काफी मांग होने लगी थी— एक बिहार से और दूसरी उड़ीसा से। इसमें बिहार से यह नहीं कि 90 से मांग आई बल्कि हमारे पास 88 का रिकार्ड उपलब्ध है, उस समय ही बहुत जोरों से मांग पकड़ने लगी। फिर उड़ीसा से मांग आई तो इन दो जगहों पर बैकवर्ड एरियाज का जो क्राइटेरिया है, उसमें हम लोगों ने रखने का काम किया। चूंकि उत्तरी बिहार बहुत ही निग्लैक्टैड था, इस दृष्टिकोण से दो जगहों में चुनना था— पटना और हाजीपुर, तो उसी दृष्टिकोण से हाजीपुर में किया गया और

उड़ीसा में भी उसी दृष्टिकोण से किया गया।

सभापति जी, बाय एंड लार्ज जो एक्सपर्ट कमेटी बनती हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हम चलते हैं, लेकिन बिलासपुर की मांग के संबंध में माननीय सदस्य का कहना सही है उस संबंध में काफी प्रतिवेदन आए, काफी संसद सदस्यों ने मुलाकात की और मुख्य मंत्री व हर पार्टी के नेताओं ने भी बातचीत में इस विषय को रखा।

श्रीमती वीणा वर्मा: सभापति जी, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि रेलवे जोन देने की मांग बिहार और उड़ीसा से ज्यादा थी और एक मांग बिलासपुर की भी थी। महोदय, बिलासपुर सौ वर्ष पुराना रेलवे मण्डल है, लेकिन उस की अवहेलना की गयी और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नए बजट में नए रेलवे जोन बनाने से यह स्पष्ट हो गया है कि रेलवे जोन की स्थापना के लिए किसी भी संगत औचित्य की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ राजनीतिक संघर्ष की आवश्यकता है। महोदय, एक और बात जो अभी माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कही कि किसी भी स्टेट में रेलवे जोन देना पिछड़ेपन और मांग के अलावा वहां की उन्नति से भी जुड़ा हुआ है, वहां के विकास से भी जुड़ा हुआ है बिलासपुर में यदि रेलवे जोन दिया जाता तो क्या यह सही नहीं है कि बिलासपुर और उस के डिवीजन में, छत्तीसगढ़ में कुछ वर्षों में अरबों रुपए का पूंजी निवेश होता। वहां 20-25 हजार लोगों को रोजगार मिलता। वहां द्रुतगामी दूर की रेल की शुरूआत होती और उन के लिए रेलमार्ग बनता और एक विस्तृत बहुत बड़ी योजना बनती। फिर इस विस्तार को देखते हुए वहां के वायुमार्ग पर भी ध्यान दिया जाता। तो इस तरह से रेलवे जोन बनाने की जो प्रक्रिया होती है या जो निर्णय होता है...

MR. CHAIRMAN: Please sum up.

श्रीमती वीणा वर्मा: वह वहां के विकास से भी जुड़ा होता है। महोदय, मध्यप्रदेश जोकि एक पिछड़ा राज्य कहलाता है और खास तौर से छत्तीसगढ़, बिलासपुर और बस्तर का जो ट्रायबल बेल्ट है, उस के विकास को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी वहां जोन बनाने पर फिर से विचार करेंगे और चूंकि अभी बजट पास होना है, उसमें एक और एडीशनल रेलवे जोन की घोषणा करेंगे?

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, मैंने कहा कि जो माननीय सदस्या कह रही हैं, वह बिल्कुल सही है। उस मांग के लिए औचित्य भी है और बैकवर्ड एरिया भी है, लेकिन जोन एक ही जगह बनाना है, यदि दो-तीन जगह जोन बनाना हो, तो निश्चित रूप से मान लेते कि जबलपुर में हुआ तो एक बिलासपुर में होना चाहिए। फिर रेलवे बजट तो पास हो गया, लेकिन माननीय, सदस्या जानती है कि जब जबलपुर की घोषणा हुई तो उस का किसी ने विरोध नहीं किया। सभी ने कहा कि हम जबलपुर में बनाए जाने का स्वागत करते हैं और बिलासपुर में भी बनना चाहिए। तो जो बिलासपुर की मांग है, जहां तक मांग का सवाल है उसमें हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह मांग कोई गलत है। इवेन बिलासपुर के अलावा और भी जगहों पर मांग चल रही है। बहुत सी जगहों के साथी कहते हैं कि यहां भी होना चाहिए, वहां भी होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि चूंकि तत्काल जैसे निर्णय लेना था और जबलपुर की आलरेडी रिकमण्डेशन थी इसलिए जबलपुर के संबंध में निर्णय ले लिया गया। यहां तक दूसरा जो है कि बिलासपुर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह मैंने कहा है उसके संबंध में। यहां तक पिछड़ेपन का इलाका है, उसमें दो मत नहीं है कि पिछड़ा हुआ इलाका है। इसमें यह भी नहीं है कि जोन बनने से कुछ तरक्की नहीं होती है, तरक्की भी होती है। इसलिए, मैंने कहा कि अभी जितना निर्णय ले लिया है, वह ले लिया गया है। इसके संबंध में तमाम माननीय सदस्यों से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के, आल पार्टी के लीडर ने भी बातचीत की है और बातचीत कर भी रहे हैं।

DR. (SHRIMATI) BHARATI RAY: Sir, the first question was about the rationale for creating the six Zones. But that has already been answered. Now, my submission is this. It is as important to create new zones as it is to develop, expand and improve the existing ones. It is extremely necessary to introduce a superfast rail service between Calcutta and Siliguri. North Bengal is a culturally rich, strategically important and economically developing area. When we were children, we reached the foothills of the Himalayas in eight hours. But our children take double the time. Will the Minister kindly consider ensuring a quicker communication between the capital of West Bengal and North Bengal, if possible, in this Budget?

SHRI RAM VILAS PASWAN: Sir, this question does not arise out of the main question.

SHRI SATYANARAYANA DRONAMRAJU: Sir, it is understood that the question of creation of new Railway Zones was examined by the Railway Reforms Committee way back in 1984. The Committee had recommended the creation of new Zones and Divisions in a phased manner. But after a lapse of 12 years, all of a sudden, the Ministry of Railways has announced six Zones at a stretch which would involve a huge amount of non-Plan expenditure. In the present circumstances, when the Ministry of Railways is facing a resource crunch, I would like to know from the Minister: (a) What are the creiteria adopted for creation of new Zones and Divisions? (b) Was any study made before announcing the creation of six new Railway Zones and new Divisions? (c) What are the reasons and factors which compelled the Ministry to announce the creation of six new Zones at a stretch?

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, जैसा मैंने कहा कि यह तो 1966, मतलब 30 साल पुराना हो गया। तीस साल पुराने में यदि देखेंगे तो इस देश में जितने राज्य थे उन राज्यों की संख्या बढ़ी, जितने जिला थे उन जिला की संख्या बढ़ी और ब्लाक की संख्या बढ़ी। जब कोई नया नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया जाता है, नई नई स्टेट बनाई जाती है तो सब जगह कुछ न कुछ फण्ड की आवश्यकता होती है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है उस एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए और काम को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमेशा छोटे राज्यों की बात हम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पाइंट आफ व्यू से जो हमने 6 सेक्टर बताए कि हम चाहते हैं कि कितनी जल्दी कहां से, हैडक्वार्टर से जल्दी से जल्दी संपर्क स्थापित हो जाए या और भी जो चीज हैं, हमने वर्कलोड से लेकर के सारी की सारी चीज बतलाई।

अभी जो आप देखेंगे, सभापति महोदय, तो अकेले सेंट्रल रेलवे जो है, यह सेंट्रल रेलवे बम्बई से लेकर फरीदाबाद तक है। कहां बंबई है और कहां फरीदाबाद है? यह 1510 किलोमीटर है। अब उसमें, जब यह जो नया जोन बना है तो उस जोन के बन जाने से इसकी दूरी घटकर 907 किलोमीटर हो जाएगी। खर्चा तो लगता है। इसमें दो मत नहीं है कि खर्चा उसमें नहीं होता है, लेकिन अब उस खर्चा के डर से जो हमारी अत्यावश्यक चीज है उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। इसलिए एफिसियन्सी को देखना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पाइंट आफ व्यू को देखना पड़ता है और उस दृष्टिकोण से जैसा आपने कहा, माननीय सदस्य ने कहा कि आज से 12 साल पहले 1984 में, 1984 से 1996, मतलब 12 साल का कहा। उन्होंने कहा कि चार जोन बनना चाहिए, लेकिन 1966 से लेकर के, मतलब 30 साल तक, अभी तक नहीं बन पाया था। इसलिए सरकार ने, हमने एफिसियंसी के दृष्टिकोण को रखते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव पाइंट आफ व्यू को रखते हुए उनमें निर्णय लेने का काम किया।

SHRI JIBON ROY: I would like to know whether any techno-economic study has been done in this regard.

श्री राम विलास पासवान: जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, लागू किया जाता है तो वह सारी स्टडी के बाद ही ले लिया जाता है।

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, I would like to ask the hon. Minister whether it is not a fact that a memorandum signed by all MPs of Karnataka including the present Prime Minister when he was a Member of Parliament and the hon. Minister from Hubli who is sitting here—the Human Resource Development Minister—had demanded that a Railway Zone be created in Hubli. A commitment was made that it would be Hubli that would have the Railway Zone. It is a very important region and it is in North Karnataka which has been neglected for very long. The Minister is talking of criteria, of backwardness, of the need to improve the infrastructure, so on and so forth. I am glad to see one of his colleagues smiling because I raised this question. We have been repeatedly demanding that Hubli should have a Railway Zone and we believed that this would happen. But Suddenly when the very people who had signed the memorandum with us are in Govern-

ment, they change it and make it Bangalore. I come from Bangalore and I am not against Bangalore. But my point is, the preference of the State was Hubli and everything was in favour of Hubli. I would like to ask the hon. Minister why the Prime Minister himself changed his mind when he had been demanding a Railway Zone in Hubli and now, in the Budget, he had shifted it to Bangalore. I think there is a great deal of resentment in Hubli. There were demonstrations and protests against this. Hubli was the place which really deserved the Zone which has now been changed. I would like to ask the hon. Minister what was the reason for the change was.

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, जिस एक्सपर्ट कमेटी की बात माननीय सदस्या कह रही हैं, रेल सुधार समिति ने 1984 में जो रिकमेंडेशन किया था, उस रिकमेंडेशन के तहत जो समिति बनी थी, उसमें उन्होंने निर्णय ले लिया था 1994 में कि जबलपुर, जयपुर, इलाहाबाद, बंगलौर में चार ज़ोनल कार्यालय खोले जाएंगे। हम तो आए हैं जून, 1996 में, यह निर्णय लिया गया था 1994 में और जो हमारी गलती कहें यो हमारे ऊपर जो ब्लेम लग सकता है, वह लग सकता है कि नई कमेटी बनाकर जो दो जगह का निर्णय लिया गया है — हाजीपुर का या उड़ीसा, भुवनेश्वर का, उसमें हमको इस बात की खुशी है कि हाजीपुर और उड़ीसा में कहीं कोई मतभेद नहीं है ..**(व्यवधान)**.. वह तो चला पूल के लिए आप, अहलुवालिया जी, कहां का मामला कहां ले जाते हैं। वह तो चला सिर्फ इसलिए कि पूल इधर बने या उधर बने, ज़ोन के लिए नहीं था। ज़ोन में जरा सा भी कहीं, न तो हाजीपुर के संबंध में, न भुवनेश्वर के संबंध में कोई विवाद है, बल्कि ये जो चार ज़ोन है, जहां विवाद की बात है कि हुबली में बने कि बंगलौर में बने, बिलासपुर में बने कि जबलपुर में बने, इसमें रेलवे ने शुद्ध रूप से कमेटी की रिपोर्ट थी, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया।

SHRIMATI MARGARET ALVA: The Prime Minister has changed his mind. When he was an MP, he demanded one thing. When he becomes the Prime Minister, he allows something else. आप क्यों चुप बैठे हैं, आपकी कांस्टिट्युएंसी है?

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: My question slightly deviates from the main question. But it is important. One of our Members asked the DRM at Vizag why the emergency quota was reduced from 36 to 22. The hon. Member had asked the DRM why it was reduced and who had given the permission to reduce the emergency quota. It seems the DRM talked all nonsense. The Member is here. He made a representation to the Railway Minister. Mr. Satpalji immediately spoke to the DRM and asked him about the *stattus quo* regarding the emergency quota. I would request the hon. Railway Minister to immeidately transfer the DRM who has humiliated a Member of Parliament. This is my humble request. ...*(Interruptions)*...

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, चाहे डी०आर०एम० हो या रेलवे बोर्ड का चेयरमैन हो, मैम्बर आफ पार्लियामेंट की अपनी प्रतिष्ठा है, पार्लियामेंट सर्वोपरि है, मैम्बर आफ पार्लियामेंट को क्वायरी करने का, इन्फारमेशन लेने का पूरा-पूरा अधिकार है और कोई भी अधिकारी यदि मैम्बर आफ पार्लियामेंट की प्रतिष्ठा के खिलाफ आचरण करता है या उसके ह्यूमिलेशन की बात तो बहुत दूर रही, थोड़ा सा भी अगर मैम्बर आफ पार्लियामेंट को अपमानित करता है, तो उसमें हम जितना कड़े से कड़ा एक्शन लेने का काम होगा, लेंगे। हम लेंगे। ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं होता है। आप लिख कर दीजिये। जो हायर आफिसर हमारा होता है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से हम इनक्वायरी कराएंगे और उसमें दो नये पैसे भी सत्यता पाई जाएगी तो हम उस अफसर को न सिर्फ ट्रांसफर करेंगे बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

SHRI SAIFULLA: Respected Chairman, Sir, I would like to ask of the hon. Minister this. In anantapur District, there is one Guntakal division which connects the railway lines. Perhaps untill 1977, it was with the Sourth-Central Railway, Bangalore. After 1977, because of the linguistic problem, it came to the South-Central Railway, Secunderabad. Now, most of the Guntakal division, 75 per cent of it, is in the Andhra Pradesh area and the people who work there are from Andhra Pradesh. There is no language

problem. There is no transfer problem. Now we have come to know that the Ministry is trying to shift that Guntakal division to the South-Central Railway, Bangalore. If it is so, I would request the hon. Minister not to take that action and to keep the Guntakal division as it is with the South-Central Railway, Secunderabad.

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दि पार्टी जितने भी हमारे आंध्र प्रदेश के मैंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कांग्रेस के, तेलुगु देशम के, हर पार्टी के मैंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमने बुलाया था और हमने एक घंटा नहीं, दो घंटे नहीं, तीन-तीन, चार-चार घंटे बैठकर बातचीत की है। जहां तक ज्यूरिस्डिक्शन का सवाल है, अभी कोई ज्यूरिस्डिक्शन फाइनल नहीं किया गया है और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों की जो भावना है और हर दृष्टिकोण से जो उचित होगा, उसी को हम करेंगे। इसलिये घबराने की कोई बात नहीं है।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा—1 जून को मंत्री महोदय ने रेल मंत्री के रूप में शपथ ली और तुरन्त कार्यवाही के लिये कमेटी बना दी। जिसने महीना 12 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमीट कर दी कि हाजीपुर में भी एक जोनल ऑफिस बनना चाहिये। महोदय। यह सर्वविदित है कि सरकारिया कमीशन ने स्टेट और सेंटर की रिलेशनशिप को डिसकस करते हुये इकानॉमिक इम्बैलेन्सेज पर भी कहा है और उनके कमेंट बड़े साफ हैं कि जहां-जहां मंत्री गये, अपने साथ वे प्रोजेक्ट ले गये। उसकी प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या उसकी वहां जरुरत है या नहीं, इसका विचार न करते हुये उन्होंने सिर्फ एक पोलिटिकल डिसीजन लेकर वहां दफ्तर खोला। महोदय, हमारी बहुत दिनों से मांग चल रही है। हमारा एक ट्रांशिपमेंट सेंटर था गढ़हरा यार्ड जहां करीब 1,200 एकड़ जमीन है और सारा इनफ्रास्ट्रक्चर वहां उपलब्ध है, वहां के बारे में हम लोगों ने मांग की थी कि वहां इम्पलॉयज भी हैं, दफ्तर हैं. बिल्डिंग बनी हुई हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, सब कुछ बना हुआ है, इसलिये वहां पर जोनल ऑफिस बनाया जाए। लेकिन वहां न ले जाकर इसको हाजीपुर में ले जाया गया और अभी जब मैंने इनसे सवाल पूछने की कोशिश की कि गोली चल गई जोनल ऑफिस के कारण तो उन्होंने कहा नहीं। अब इस हाजीपुर जोनल आफिस को पटना से जोड़ने के लिये पटना टू हाजीपुर गंगा पर रेलवे ब्रिज बनाना पड़ेगा जबकि पहले से मांग चली आ रही थी पहलेजा घाट पर बनाने की। पहलेजा घाट पर आंदोलन चल रहा था और उस पार अगर जोनल ऑफिस बनता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती पर इन्होंने इन सारी चीजों को ताक पर रख कर कमेटी को कहा कि तुरन्त इस पर फैसला कर दीजिये। सभापति महोदय, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या "जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड" को चरितार्थ करने के लिये इन्होंने ऑफिस को प्रीडिटरमिन्ड निर्देश दिया कि आप हाजीपुर का नाम वहां लाइए? और इसके साथ-साथ अब ये खगड़िया में डी०आर०एम० ऑफिस खोलना चाह रहे हैं क्योंकि इंहोंने अपनी राजनीतिक शुरुआत अलौनी से की जो खगड़िया में पड़ता है और दूसरे, हाजीपुर से ये दूसरी बार चुने गये हैं इसलिये वहां जोनल ऑफिस बनाना चाहते हैं? क्या इसके पीछे राजनीतिक कारण नहीं है। इसका जवाब दें।

श्री राम विलास पासवान: माननीय सदस्य तो बिहार से आते हैं। हमें लग रहा था कि इनको पूरी जानकारी है लेकिन इनको कोई जानकारी है ही नहीं। पहले बात यह है कि जोनल आफिस के संबंध में जगन्नाथ मिश्र जी ने एक बार पत्र लिखा था कि बिहार में बनना चाहिये। उसके बाद फिर लालू जी ने लिखा। गढ़हरा के संबंध में आज तक मेरी फाईल में तो कभी आया नहीं कि गढ़हरा में जोनल आफिस की मांग की गई है। आपने यदि लिखा होगा तो मैं फाइंड आऊट करवा लूंगा।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: यदि आपने समिति बनाई थी तो आपको चाहिये था कि बिहार के सदस्यों को बुलाकर पूछते। पूछते कि जोनल आफिस कहां बनना चाहिये और क्या विचार कर रही है आपकी समिति? कहां गई आपकी समिति? किससे मिली? इसका जवाब दीजिये।

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, दूसरी बात पर उन्होंने जोर दिया कि जो रेलवे का ब्रिज है उसको राम विलास पासवान हाजीपुर ले जा रहे हैं पहलेजा में नहीं। हमको नहीं मालूम पड़ता कि माननीय सदस्य को कहां जानकारी मिल गई पहलेजा में नहीं बन रहा है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष जी, पटना और हाजीपुर की माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिये कि पटना और हाजीपुर में 10 किलोमीटर का फर्क है। इस पार पटना है उस पार हाजीपुर है। रेलवे का पुल बनाने की मांग बहुत दिन से चल रही है। रेलवे का पुल कहां बने? इसमें मान लेते

है कि एक इस साईड में है जहां पहलेजा है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं और दुसरी साईड में गुलजार बाग है, बीच में हाजीपुर आता है। इधर भी बनता है तो भी उतनी दूरी है, उधर भी बनता है तो भी इतनी दूरी है। इसलिये मैंने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी और आपको मालूम है कि इस बजट में एक करोड़ 60 लाख रुपए उसके लिये दे दिया है और वह पुल के सर्वेक्षण के लिये नहीं बल्कि पुल का स्थल चयन करने के लिये और जो माननीय सदस्य ने कहा है कि पहलेजा में नहीं बन रहा है, अब हमको डिस्कलोंज नहीं करना चाहिये, लेकिन मैं समझता हूं कि 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन के बाद जब रिपोर्ट आएगी और निर्णय होगा तो इनकी सारी गलत धारणाएं दूर हो जाएंगी।

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी: आखिर चाहते हैं आप बिहार में न जाए?

مولانا عبیداللہ خاں اعظمی: آخر چاہتے ہیں آپ بہار میں جائے۔

श्री एस० एस० अहलुवालिया: चुप रहो, तुम ससुराल से खड़े हो।

Vacancies in Railways

*482. SHRI JALALUDIN ANSARI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the total number of vacancies which have arisen in Indian Railways in Group 'A' post (excluding Medical and RPF) on account of retirement/death etc. during the last three years, year-wise;

(b) the total number of Group 'A' posts created (excluding Medical and RPF) during the said period, year-wise;

(c) the total number of Group 'A'officers sent on deputation etc. (excluding Medical and RPF) during the said period, year-wise;

(d) the number of officers directly recruited during the said period, year-wise; and

(e) the number of Group 'B' officers promoted to Group 'A' during the said period, year-wise?

रेल मंत्री (श्री रामविलास पासवान): एक विवरण सभापति पर रहा दिया गया है।

विवरण

(क) ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1993 : 554
1994 : 556
1995 : 479

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1993 : 35
1994 : 09
1995 : 31

(ग) ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1993 : 29
1994 : 41
1995 : 56

(घ) ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1993 : 212
1994 : 174
1995 : 106

(ङ) ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1993 : 185
1994 : 113
1995 : 12